न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 446/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहन्या बाई पत्नि रामचरण जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादिया

♠ बनाम ♠

01. शोभागमल
02. जोधराज
03. दौलतराम

} पुत्रान भारमल उर्फ मोरपाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी

04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 : श्री हरिओम यादव
दायरा दिनांक: 07.12.2016

निर्णय दिनांक : 05.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीकम 1 लगायत 4 के शामलाती खाते में खाता संख्या 237 ग्राम जलोदा तेजाजी में खसरा नं0 158 रकबा 1.95 है0, खसरा नं0 159 रकबा 2.70 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 273 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 297 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 460 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 567 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 661 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 667 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 704 रकबा 0.61 है0 कुल किता 11 रकबा 7.85 है0 आराजी स्थित है। प्रतिवादी कम 1 तथा 3 ने अपने हिस्से 1/2 का 6/10 हिस्सा और सम्पूर्ण खाते का 3/10 हिस्सा खसरा नं0 297 रकबा 1.05 है0 का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 23.05.2011 को वादनी के पक्ष में कर दिया तथा कब्जा संभला दिया। रजिस्टर्ड बेचान के समय खसरा नं0 297 रकबा 1.05 है0 आराजी एस0बी0बी0जे0 मांगरोल के यहा रहन दर्ज थी इसलिए वादनी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान के समय इन्तकाल दर्ज नही हो सका। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने बेंक से आराजी रहन मुक्त करवाकर आराजी का पृथक–पृथक बंटवारा कर लिया तथा वादनी के पक्ष में इन्तकाल दर्ज नही करवाया। इस प्रकार खसरा नं0 297 रकबा 1.05 है0 में से रकबा 0.72 है0 प्रतिवादी कम 2 जोधराज के खाते में दर्ज हो रही है तथा

खसरा नं0 297/918 की 0.33 है0 प्रतिवादी कम 3 दौलतराम के खाते में दर्ज हो रही है। अतः खसरा नं0 297 रकबा 0.32 है0 आराजी प्रतिवादी कम 3 दौलतराम के खाते में से खारिज की जाकर वादनी के खाते दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 07.12.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की और से जर्ये वकील हरिओम यादव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा जवाब दावा पेश किया। जिसमे वाद की मद संख्या 1 ता 6 स्वीकार की गई तथा मद संख्या 7 अस्वीकार की गई व मद संख्या 8 व 9 कानूनी है तथा मद संख्या 10 अस्वीकार व मद संख्या 11 स्वीकार की गयी।

इकबाली जवाब दावा प्रतिवादीकम 1 ता 3 की और से पेश होने पर वकील वादी की बहस सुनी गयी वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडल्ब्यू 1 वादिया चाहन्या बाई के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2065–68 ग्राम जलोदा तेजाजी प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2069–72 खातेदार शोभागमल प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2069–72 दौलतराम प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2069–72 खातेदार जोधराज प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2011 प्रदर्श 6 इकरार नामा दिनांक 23.05. 2011 वादिया व प्रतिवादीगण तथा प्रदर्श 7 रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 पेश किये।

वकील वादिया ने उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में अंकित किये है। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.05.2011 में प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने खसरा नं0 297 रकबा 1.05 है0 वाके माल जलोदा तेजाजी की आराजी में से हिस्सा 1/2 का हिस्सा 6/10 जो कि 0.32 है0 का बेचान किया है। और इस बैचान को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है तथा इकबाली जवाब दावा पेश करके कथन किया है कि दावा डिक्री किये जाने में उन्हे कोई आपत्ती नही है वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में खसरा नं0 297 को 2 खसरा नं0 में विभक्त कर दिया है जो इस प्रकार है खसरा नं0 297/918 रकबा 0.33 है0 व खसरा नं0 297 रकबा 0.72 है0 है जो कि खातेदार प्रतिवादी कम 3 दौलतराम व खातेदार प्रतिवादी कम 2 जोधराज के खाते में पृथक–पृथक दर्ज हो रहे है चूकि प्रतिवादी कम 1 ता 3 को बैचानशुदा आराजी खसरा नं0 297 रकबा 0.32 है वादिया के खाते में पृथक से दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है बैचान शुदा आराजी पर वादिया काबिज काश्त है और स्वयं काश्त कर रही है न्यायालय वादिया के वकील से सहमत होते हुए वाद को स्वीकार करना न्यायोचित समझता है।

अतः वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी कम 2 जोधराज के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 297 रकबा 0.72 है0 वाके माल जलोदा तेजाजी में से 0.16 है0 आराजी कम करके

तथा प्रतिवादी कम 3 दौलतराम के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 297/918 रकबा 0.33 है0 में से 0.16 है0 आराजी कम करके वादिया चाहन्या बाई के खाते में पृथक से खसरा नं0 297/919 रकबा 0.32 है0 वाके माल जलोदा तेजाजी दर्ज की जाकर खाता वादिया पृथक किया जावे, नक्शा भी अलग कायम किया जावे व डिकी जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(ए